अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2, नोहर, जिला–हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– **रामकन्या सोनी**
R.J.S.(D.J. Cadre)

जमानत आवेदन सीआईएस संख्या :– **191/2026**

CNR Number : RJHG070007922026

राणाराम पुत्र रिछपाल नवासी 35 एसटीडी सरामसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, नोहर।

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2026 पुलिस थाना गोगामेडी अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) भारतीय नागरिक सुरक्षा
––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति :–

01. श्री छोटूराम सहू, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

02. श्री दिनेश भाटी, विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :– 01–07–2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपर सेशन न्यायाधीश सं0–1 नोहर में पेश हुआ, जो अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। केस डायरी तलब की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता का अपने जमानत आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, इसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी इलाका हाजा का रहने वाला है जिसके भागने व फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा गवाहान को डराने–धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

A5/1

01/07/2026
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2
नोहर (हनुमानगढ़)

03. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के अपराध के अभियोग हैं। इसलिए प्रार्थी / अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

04. उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

05. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 10.12.2025 से 08.01.2026 के मध्य परिवादी का 235 क्विंटल नरमा चोरी करने का आरोप है। इस सम्बन्ध में पुलिस थाना नोहर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17 / 2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। अभियुक्त राणाराम उर्फ रणिया के पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड सम्बन्धी सूचना निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नम्बर	पुलिस थाना	धारा	प्रकरण संख्या	वर्तमान स्थिति	अन्य विवरण
1	361 / 20	सूरतगढ़	379 भा0दं0सं0	–	–	सजा
2	01 / 98	पीलीबंगा	457, 380, 323 भा0दं0सं0	–	–	सजा
3	20 / 90	पीलीबंगा	457 भा0दं0सं0	–	–	बरी
4	178 / 94	सूरतगढ़	379 भा0दं0सं0	–	–	राजीनामा
5	135 / 2000	–	332, 353, 447, 148 भा0दं0सं0	–	लम्बित	–
6	109 / 2003	–	447, 323 34 भा0दं0सं0	–	–	बरी
7	118 / 2003	–	447, 379, 323, 34 भा0दं0सं0	–	–	बरी
8	116 / 2004	–	341, 323, 336, 335, 379 भा0दं0सं0	–	–	राजीनामा
9	196 / 2007	–	323, 341, 325, 34 भा0दं0सं	–	–	राजीनामा
10	128 / 2007	–	229ए भा0दं0सं0	–	–	सजा

06. केस डायरी पर उपलब्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी की फैक्ट्री से नरमा चोरी करने का गम्भीर आरोप है। प्रार्थी / अभियुक्त राणराम एवं सह अभियुक्त सोनू उर्फ सोनी कुमार आपस में नाना–दोहिता है। सह अभियुक्त सोनू उर्फ सोनी कुमार की इत्तिला पर घटना में प्रयुक्त वाहन पिकअप नंबर आरजे–31

A5/2

01/07/2026

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2

जीए–9148 को जब्त किया गया है तथा अभियुक्त राणाराम से चोरी किए माल को विक्रय करने की राशि 26000/– रूपये बरामद हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति के एवं अन्य आपराधिक प्रकृति के प्रकरण दर्ज रहे है। वर्तमान में चोरी के अपराधों में दिनो दिन काफी बढ़ौतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना ही अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राणाराम पुत्र रिछपाल नवासी 35 एसटीडी सरामसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

01/07/2026

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या - 2

08. आदेश आज दिनांक **01–07–2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

01/07/2026

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या - 2

A5
3